TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI EXTRA ORDINARY GAZETTE
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(REVENUE DEPARTMENT)
5, SHAM NATH MARG,DELHI

F No. 7(1)/Rev. Deptt./GA br./Rev. P./ADM/2012/P.F.//715 **Dated:** 13-08-2012

NOTIFICATION

In pursuance of Services Department's order No. 170 dated 19.04.2012, ' **Sh. K. C. Surender, DANICS** has joined as **Additional District Magistrate(South West), Distt. South West** on 01.05.2012(F/N). Now, therefore,

1. In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Delhi land Revenue Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint **Sh. K. C. Surender, DANICS** as Additional Collector in the National Capital Territory of Delhi and delegates him the powers of Collector under Section 6 read with Section 76 of the said Act w.e.f. date of assumption of charge and so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.
2. In exercise of powers conferred by section 3(6) of the Delhi land Reforms Act, 1954, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to empower **Sh. K. C. Surender, DANICS** to discharge the functions of Deputy Commissioner under the said Act in the National Capital Territory of Delhi, w.e.f. date of assumption of charge and so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.
3. In exercise of the powers conferred by section 105(1)(a) of the Punjab Tenancy Act, 1887 as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon **Sh. K. C. Surender, DANICS** all the powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi w.e.f. date of assumption of charge and so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.
4. In exercise of the powers conferred by Section 27(1)(a) of the Punjab land Revenue Act, 1887, as enforced in the NCT of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory Delhi is pleased to confer upon **Sh. K. C. Surender, DANICS** the powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi, w.e.f. date of assumption of charge and so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.

7- In exercise of the powers conferred by Section 14(A) of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to confer upon **Sh. K. C. Surender, DANICS** all the powers of the Collector under the said Act in the National Capital Territory of Delhi, w.e.f. date of assumption of charge and so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.

8- In exercise of powers conferred by Section 41(1) of the East Punjab Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act 1948, as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoint **Sh. K. C. Surender, DANICS** and delegate him the powers of hearing appeals under Section 21(4) of the said Act against the order of Settlement Officer(Consolidation) passed under Section 21(3) of the said Act, w.e.f. date of assumption of charge and so long as he holds the post of ADM in the Revenue Department or till further orders which ever is earlier.

BY ORDER AND IN THE NAME OF THE Lt. GOVERNOR
OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(Kuldeep Singh Gangar)
Spl. Secretary (Revenue)

F No. 7(1)/Rev. Deptt./GA br./Rev. P./ADM/2012/P.F./ 1715 **Dated:** 13-08-2012
Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Dy. Secretary(GAD) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalya New Delhi along with two copies of Notification in English & Hindi for publication in part-IV, Delhi Extra Ordinary Gazette.
2. The Deputy Commissioner, District South West, Delhi.
3. Officer concerned through Deputy Commissioner, District (South West), Delhi.
4. The System Analyst, Revenue Department with the request to upload the above said orders on the website of this department.
5. C.A to Principal Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, Delhi.
6. Guard file.

(D. K. SAINI)
SUB DIVISIONAL MAGISTRATE-III (HQ)

राजपत्र (असाधारण) के भाग-4 में प्रकाशनार्थ
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
राजस्व विभाग
5, शाम नाथ मार्ग, दिल्ली.

सं0. एफ. 7(1)/राजस्व/जी0ए0/राज. श./अ.उपा./2012/पी. एफ./ 1715 **दिनांक :** 13-08-2012

अधिसूचना

सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं0 170 दिनॉक 19.04.2012 के संदर्भ में **श्री के. सी. सुरेन्द्र (दानिक्स)** ने दिनांक 01.05.2012 (पूर्वाह्न) को **अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (दक्षिण-पश्चिम)**, जिला दक्षिण-पश्चिम, दिल्ली का कार्यभार सम्भाल लिया है । अतः-

1. दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम 1954 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा **श्री के. सी. सुरेन्द्र (दानिक्स)** को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अतिरिक्त कलैक्टर नियुक्त करते हैं तथा उसी अधिनियम की धारा 6 तथा 76 के अंतर्गत उन्हें जिलाधीश राजस्व की शक्तियां प्रदान करते हैं ।
2. दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 की धारा 3 (6) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा **श्री के. सी. सुरेन्द्र (दानिक्स)** को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपायुक्त के कार्य पालन हेतु शक्तियां प्रदान करते हैं ।
3. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यथा-विस्तारित पंजाब टेनेंसी अधिनियम 1887 की धारा 105 (1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा **श्री के. सी. सुरेन्द्र (दानिक्स)** को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं ।
4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887 की धारा 27 (1) (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा **श्री के. सी. सुरेन्द्र (दानिक्स)** को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं।
5. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 14 (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा **श्री के. सी. सुरेन्द्र (दानिक्स)** को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो भी पहले हो, उक्त अधिनियम के अंतर्गत कलैक्टर की समस्त शक्तियां प्रदान करते हैं ।
6. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा-विस्तारित पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा विखण्डन रोकथाम) अधिनियम 1948 की धारा 41 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा **श्री के. सी. सुरेन्द्र (दानिक्स)** को अपने कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के पद पर बने रहते हैं अथवा आगामी आदेशों तक जो पहले हो, कथित अधिनियम की धारा 21 (4) के अंतर्गत बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) द्वारा धारा 21 (3) में पारित किए गए आदेशों के खिलाफ समस्त अपीलें सुनने के लिए अपीलेंट अथोरिटी नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर

(कुलदीप सिंह गंगर)
विशेष सचिव (राजस्व)

सं0. एफ. 7(1)/राजस्व/जी0ए0/राज. श./अ.उपा./2012/पी. एफ./ 1715 **दिनांक :** 13.08.2012

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है :-

1. उपसचिव (सा. प्रा.) रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ अधिसूचना की दो प्रतियां अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद सहित ।
2. उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) जिला दक्षिण-पश्चिम दिल्ली ।
3. संबंधित अधिकारी को उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम) जिला दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के माध्यम से ।
4. प्रणाली विश्लेषक (System Analyst) राजस्व विभाग को यह अधिसूचना इस प्रार्थना के साथ भजते है कि वे इसे विभाग की वैबसाइट पर अपलोड करें ।
5. सी.ए., प्रधान सचिव (राजस्व)/मण्डलायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, ।
6. गार्ड फाइल ।

(डी. के. सैनी)
उपमण्डलीय दण्डाधिकारी (मु0-III)